न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 81 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 97

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री प्रांशक जैन पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन (विक्रेता / मालिक) मैसर्स प्रांशक जिनेन्द्र जैन किराणा स्टोर, खमेरा घाटोल, बांसवाडा (राज)
2. श्री नगीन लाल शाह पुत्र श्री रुप चंद्र शाह (फर्म मालिक) मैसर्स – शाह एजेन्सी त्रिपोलिया रोड, कस्टम चौराहा, बांसवाडा
3. श्री अरविन्द कुमार सोनी पुत्र श्री किशन लाल (मैनेजर) मैसर्स – ली फोल इण्डिया ट्रेड फ्लेट नं. 801 शाही अपार्टमेन्ट, नियर गवरी चौराहा, उदयपुर
4. श्री सुरेश कुमार राठौड पुत्र श्री गगन भाई राठौड नोमिनी मैसर्स – गोकुल एग्री इन्टरनेशनल लि. स्टेट हाई वे नं. 41 नियर सुजनपुर पाटिया, सिंधपुरा, जिला पाटन, गुजरात
5. मैसर्स – गोकुल एग्री इन्टरनेशनल लि. स्टेट हाई वे नं. 41 नियर सुजनपुर पाटिया, सिंधपुरा, जिला पाटन, गुजरात

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 13–08–2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:06:24 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री [illegible] शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (राज.) के द्वारा दिनांक **16–07–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **17–07–2023** को दौरान गश्त 1.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

मैसर्स प्रांशक जिनेन्द्र जैन किराणा स्टोर, खमेरा घाटोल पर पहुंचा तो वहाँ पर **श्री प्रांशक जैन पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन** मिले **विक्रेता की उपस्थिति में परिसर** का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (गोकुल प्राईम) 1 लीटर पैकिंग के 30 नग रखे हुए थे। जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने एवं मिसब्राण्ड का** शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (गोकुल प्राईम) के 4 पैक कुल 4 लीटर** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **440/- रु.** विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (गोकुल प्राईम) के 1-1 लीटर की पैकिंग के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1491** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:06:24 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/545 दिनांक 20-11-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलेक्टर)
बाँसवाड़ा (राज.)

प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 875 दिनांक 28–07–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (गोकुल प्राईम)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1491** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। उक्त नमुने की पुनः जांच हेतु विक्रेता द्वारा एफ.एस.एस.ए की धारा 46 की उपधारा (4) के तहत पुनः निर्धारित समयावधि में अपील की गयी जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता की अपील पर नमूने की पुनः जांच हेतु रैफरल फुड लेब मैसुर भिजवाया गया। आर.एफ.एल मैसुर की जांच रिपोर्ट 54एफ/ एफ.एस.एस.ए/ 2024 दिनांक 18.04.2024 के तहत यह नमूना एफ.एस.एस.ए की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard होना पाया गया।

फर्म के मालिक **श्री प्रांशक जैन पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स प्रांशक जिनेन्द्र जैन किराणा स्टोर, खमेरा घाटोल, बांसवाडा** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (गोकुल प्राईम)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (गोकुल प्राईम)** का अग्रिम माल खरीद बिल **मैसर्स शाह एजेन्सी त्रिपोलिया रोड, कस्टम चौराहा, बांसवाडा** का प्रस्तुत किया। **मैसर्स शाह एजेन्सी त्रिपोलिया रोड, कस्टम चौराहा, बांसवाडा** से यह पत्र व्यवहार करने पर **मैसर्स – ली फोल इण्डिया ट्रेड फ्लेट नं. 801 शाही अपार्टमेन्ट, नियर गवरी चौराहा, उदयपुर** का प्रस्तुत किया। उक्त फर्म से यह पत्र व्यवहार करने पर **मैसर्स – गोकुल एग्री इन्टरनेशनल लि. स्टेट हाई वे नं. 41 नियर सुजनपुर पाटिया, सिंधपुरा, जिला पाटन, गुजरात** का प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (गोकुल प्राईम)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 25–07–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:06:24 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 13–08–2024 को अप्रार्थी सं. 1 से 3 तथा अप्रार्थी सं. 4, 5 की ओर से **गोकुल एग्री इन्टरनेशनल लि. सिंधपुरा, जिला पाटन गुजरात** द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि विनोद पंचाल ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भविष्य में इस प्रकार की गलती

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

की पुनरावृत्ति नही होगी। न्यायालय द्वारा जो आदेश किया जावेगा उसकी पालना की जायेगी।

आरोपीगणो की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/545 दिनांक 20–11–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 875 दिनांक 28–07–2023, आर.एफ.एल मैसुर की जांच रिपोर्ट 54एफ/ एफ.एस.एस.ए/ 2024 दिनांक 18.04.2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (गोकुल प्राईम)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1491** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सब स्टेण्डर्ड पाया गया **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (गोकुल प्राईम)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री प्रांशक जैन पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स प्रांशक जिनेन्द्र जैन किराणा स्टोर, खमेरा घाटोल, बांसवाडा (राज) को रूपये 5000/– (अक्षरे पॉच हजार रुपया मात्र), श्री नगीन लाल शाह पुत्र श्री रुप चंद्र शाह (फर्म मालिक) मैसर्स – शाह एजेन्सी त्रिपोलिया रोड, कस्टम चौराहा, बांसवाडा को रूपये 5000/– (अक्षरे पॉच हजार रुपया मात्र), श्री अरविन्द कुमार सोनी पुत्र श्री किशन लाल (मैनेजर) मैसर्स – ली फोल इण्डिया ट्रेड फ्लेट नं. 801 शाही अपार्टमेन्ट, नियर गवरी चौराहा, उदयपुर को रूपये 20000/– (अक्षरे बीस हजार रुपया मात्र), श्री सुरेश कुमार राठौड पुत्र श्री गगन भाई राठौड (नोमि[illegible] एग्री इन्टरनेशनल लि. एवं मैसर्स – गोकुल एग्री इन्टरनेशनल लि. स्टेट हाई वे नं. 41 [illegible] जिला पाटन, गुजरात को रूपये 150000/– (अक्षरे एक लाख पचास हजार रुप[illegible] मात्र) दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:06:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 13–08–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:06:24 IST
Reason: SelfAttested